उत्तर प्रदेश शासन
दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2
संख्या- 80/2019/1591/65-2-2019-42(विविध)/2018
लखनऊः दिनांक- 26 जून,2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं एवं सुविधाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम-2017 जिसे उत्तर प्रदेश शासन, विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-2704/79-बी0-1-17-1(क)25/17 दिनांक 06-01-2018 को जारी किया गया है, की धारा-01 की उप-धारा-03 एवं 04 अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिव्यांगजन सश्क्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना एतदद्वारा निर्गत की जा रही है।

2- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा ऐसे दिव्यांगजन को जिनकी दिव्यांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है। संचालित योजनाओं में पारदर्शिता, व्यक्ति की पहचान, यथाशीघ्र लाभान्वित करने तथा योजनाओं की निगरानी किये जाने के उद्देश्य से आधारभूत दस्तावेज के रूप में विभागीय सेवाओं के लिये 'आधार' कार्ड को आवश्यक किया जाना है।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही है, जिससे लाभान्वित होने/लाभ प्राप्त करने के लिये 'आधार' पहचान संख्या आवश्यक होगी:-

1. दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना।
2. कुष्ठावस्था पेंशन योजना।
3. दिव्यांग व्यक्तियों को शादी करने पर शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।
4. उत्तर प्रदेश दिव्यांग पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना।
5. उत्तर प्रदेश में नि:शक्तजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण खरीदने हेतु अनुदान योजना।
6. उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगजन को नि:शुल्क यात्रा सुविधा योजना।
7. उत्तर प्रदेश के निर्धन एवं असहाय दिव्यांग व्यक्तियों की दिव्यांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान योजना।

3- उपर्युक्त योजनाओं द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदानों, सहायिकियों और अन्य सामाजिक प्रसुविधाओं जो उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि से वित्त पोषित है, से लाभान्वित होने के लिये 'आधार' पहचान आवश्यक है। इस हेतु निम्नलिखित नियम प्राविधानित किये जा रहे है:-

(अ) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित उपर्युक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक दिव्यांगजन द्वारा 'आधार' संख्या उपलब्ध कराया जायेगा।

(ब) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक प्रत्येक दिव्यांगजन या लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थी के लिये यदि उनका 'आधार' पहचान संख्या नहीं है, तो 'आधार' पंजीकरण अनिवार्य होगा।

4- जब तक लाभार्थी द्वारा अपना 'आधार' नहीं बनवा लिया जाता है अथवा उसकी 'आधार' संख्या उसके डाटाबेस में अपडेट होने तक, ऐसे व्यक्ति/लाभार्थी को योजनाओं का लाभ निम्नलिखित दस्तावेज के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा:-

(क) (i) आधार पंजीकरण के समय उपलब्ध करायी जाने वाली इनरोलमेन्ट संख्या की रसीद।

या

(ii) यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन/अपडेट कराने के लिये उसके द्वारा किये गये अनुरोध के संबंध में प्राप्ति रसीद।

'आधार' इनरोलमेन्ट संख्या की रसीद/नामांकन/अपडेट के संबंध में प्राप्ति रसीद उपलब्ध न होने की स्थिति में निम्न दस्तावेज मान्य होगें:-

(ख)(i) फोटो सहित बैंक पासबुक, अथवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ii) मतदाता पहचान पत्र, अथवा

(iii) राशन कार्ड, अथवा

(iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड, अथवा

(v) पासपोर्ट , अथवा

(vi) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस, अथवा

(vii) यूनिक आई0डी0 कार्ड, अथवा

(viii) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज जिससे व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित होती हो।

5- समस्त लाभार्थियों को योजना का समुचित एवं सुगम लाभ प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रबन्ध किये जायेंगे:-

(i) समस्त लाभार्थियों को 'आधार' की आवश्यकता एवं उसके लाभ हेतु जागरूक किया जायेगा।

(ii) यदि लाभार्थी/ व्यक्ति का 'आधार' संख्या पंजीकृत करने अथवा अद्यतन करने की सुविधा नजदीक नहीं है तो उक्त सुविधा को सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में स्थानीय प्रशासन द्वारा यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

6- उक्त नियमों या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन चाही गयी किसी कृत्य के लिये कोई भी वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध योजित नहीं की जा सकेगी।

अजीत कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-80 /2019/1591/65-2-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0।
4. निदेशक, नियोजन विभाग (जनशक्ति नियोजन प्रभाग), उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, दिव्यांगजन सश्क्तीकरण विभाग, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि वह प्रदेश के समस्त मण्डलीय उप-निदेशकों एवं समस्त जिला दिव्यांगजन सश्क्तीकरण अधिकारियों को अपने स्तर से प्रेषित कर सूचित करने का कष्ट करें।
6. दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-1/3
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
अनिल कुमार
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in